संख्या : 1850 / 1–10–2012–14(23) / 04

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बलिया / फैजाबाद / गोरखपुर / कुशीनगर / देवरिया।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनॉक : 18 सितम्बर, 2012

विषय :मोटर बोट / मोटर लांच की मरम्मत तथा मोटर बोट संचालन हेतु धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाढ़ एवं दैवी आपदा में राहत कार्यों की तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय राजस्व विभाग द्वारा क्रय की गयी मोटर बोटों / मोटर लांचों की मरम्मत तथा मोटर बोट संचालन हेतु कुल रू0 19,16,660 / – (रू0 उन्नीस लाख सोलह हजार छः सौ साठ मात्र) निम्न विवरणानुसार आपके जनपद के सम्मुख अंकित धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

जनपद	पत्र संख्या / दिनांक	मोटर बोट / मोटर लांच की संख्या	मोटर बोट / मोटर लांच की मरम्मत / अनुरक्षण, मोटर बोट के संचालन / रख–रखाव / पारिश्रमिक हेतु मांगी गयी धनराशि (रूपये में)
बलिया	71 / दै0आ0 दि0 11.05.12	08	15,75,000.00
फैजाबाद	207 / सी0आर0ए0 दि0 21.05.12	01	93,000.00
गोरखपुर	814 / आपदा–12 दि0 अस्पष्ट		1,20,000.00
कुशीनगर	347 / आपदा–06 दि0 29.06.12	01	28,660.00
देवरिया	291 / आपदा–12 दि0 06.06.12	01	1,00,000.00
			कुल योग रू0 19,16,660.00

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड–800–अन्य व्यय–03–स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि राजस्व विभाग द्वारा पूर्व में क्रय की गयी मोटर बोटों/मोटर लांचों की मरम्मत तथा मोटर बोट संचालन हेतु कार्यदायी संस्था/सक्षम व्यक्ति को दी जाने वाली धनराशि पर ही व्यय किया जायेगा। उक्त मोटर बोटों/मोटर लांचों की मरम्मत का कार्य स्थानीय स्तर पर विद्युत यांत्रिक डिवीजन, लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जायेगा।

4. राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

5. आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिलास्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या 1693/1–11–2005–रा0–11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचतें सम्भावित हो तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2013 से पूर्व शासन को सर्मपित कर दिया जाये।

6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

7. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या :1850(1) 1–10–2012–14(23)/04 टी0सी0–1 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार –प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 सचिवालय।
2–सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
3–आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4–वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइठ http//rahat.up.nic.in पर अपलोड किये जाने हेतु।
5–वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0
6– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बलिया/फैजाबाद/गोरखपुर/कुशीनगर/देवरिया।
7–वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5।

8–समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग–6/11, राहत की वेबसाइट के उपयोगार्थ।
9–निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त उ0प्र0 शासन।
10–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Rndi

(आर0 एन0 द्विवेदी)
अनु सचिव।